कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं° पेंशन /पी ओ एच डबल्यू 2023/69114/615 दिनांक :- 03 .05 .2023

सेवा में,

सभी अपर के.भ.नि.आ., आंचलिक कार्यालय
सभी क्षे.भ.नि.आ./कार्यालय प्रभारी, क्षेत्रीय कार्यालय

विषय: विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन को हटाना और पुनः प्रस्तुत करने के संबंध में ।

महोदया/महोदय,

पेंशनभोक्ताओं/सदस्यों से विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए उनके आवेदनों में त्रुटियों को ठीक करने और फ़ाइल अपलोड करने के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने के अनुरोध के साथ कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

2. तदनुसार, ऑनलाइन कार्यक्षमता में, कर्मचारियों को 'डिलीट एप्लिकेशन' के लिए एक बटन प्रदान किया गया है। आवेदन को हटाने के बाद कर्मचारी, यदि वह चाहे तो सही विवरण/अपलोड के साथ विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए एक नया आवेदन दायर कर सकता है।

3. हालाँकि, इस बटन का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब नियोक्ता ने कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन पर कार्रवाई नहीं की हो।

4. जहां नियोक्ता ने विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन पर पहले ही कार्रवाई कर दी है, कर्मचारी डिलीट बटन का उपयोग नहीं कर पाएगा। हालाँकि, ऐसे मामलों में भी, कर्मचारी को मुख्यालय परिपत्र दिनांक 23.04.2023 (क्रम संख्या 18/2023-24) के अनुसार फील्ड कार्यालयों द्वारा विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन की जांच के बाद त्रुटियों को सुधारने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

कृपया यह सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए है।

[यह के.भ.नि. आयुक्त के अनुमोदन से जारी]

भवदीया,
ह./-
(अपराजिता जग्गी)
क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त- I (पेंशन)

प्रतिलिपि:

1. के.भ.नि. आयुक्त के निजी सचिव
2. वित्तीय एवं मुख्य लेखाधिकारी, मुख्य सतर्कता अधिकारी, निदेशक(पीडीनास), सभी आ.प्र.स., मुख्यालय के सभी अ.के.आ. (मुख्यालय) एवं अ.के.आ. ।
3. अ.के.आ. -मुख्यालय (आईएस), अ.के.आ.-आईएस : क.भ.नि.स. वेबसाइट पर निम्नलिखित संदेश प्रदर्शित करने के लिए:

"कर्मचारियों को विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन को हटाने के लिए एक डिलीट बटन प्रदान किया गया है ताकि यदि वे चाहें, तो त्रुटियों को ठीक करने के बाद नए सिरे से फाइल कर सकें। यह फंक्शनलिटी उपलब्ध है बशर्ते नियोक्ता ने अब तक विकल्प/संयुक्त विकल्प सत्यापन के लिए आवेदन पर कार्रवाई नहीं की है।”